न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 59/2015

उनवान

काना पिता होमला जाति भील निवासी वजाखरा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

— वादी

बनाम

(1) कोदर पिता लालजी पाटीदार निवासी वजाखरा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(2) राहुल पिता लवजी पाटीदार निवासी वजाखरा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(3) रामेंग पिता ताजेंग पाटीदार निवासी वजाखरा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(4) लवजी पिता अमरजी पाटीदार निवासी वजाखरा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(5) तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

— प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राज0 काश्तकारी अधिनियम एंव 136 भू-राजस्व अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक: 10-3-2021

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के पिता होमला पिता दला के नाम दर्ज रिकार्ड खाता संख्या 125 के आराजी सर्वे नम्बरान 710/692, 711, 712, 709, 615, 974/692 वाके ग्राम वजवाना एवं खाता संख्या 77 के आराजी सर्वे नम्बरान 750/695, 975/615 वाके ग्राम वजवाना तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.) मे स्थित है। उक्त भूमि के वर्तमान नम्बर 1523 रकबा 0.80 हेक्टर एवं 1682/1521 रकबा 0.20 हेक्टर और 1156 रकबा 0.06 हेक्टर, 1626/1520 रकबा 0.76 हेक्टर व 1503 रकबा 0.90 हेक्टर है। उपरोक्त खाते की भूमि वादी के पिता के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर उक्त भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है । उक्त भूमि संवत 2035 से 2038 जमाबन्दी में वादी के पिता के नाम दर्ज रेकार्ड था परन्तु बाद सेटलमेन्ट राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से वादी के पिता नाम उनकी जानकारी के बिना गलत एवं फर्जी तरीके से हटा दिया गया। जबकि वादी के पिता बदस्तुर अपनी पैतृक भूमि पर काबिज होकर निर्बाध रूप से काश्त करता चला आ रहा है। वादी के पिता उक्त खातेदारी भुमि के खातेदार कृषक है परन्तु प्रतिवादीगण मे राजस्व कर्मचारियों से मिलकर At the Back of Party वादी के पिता की जानकारी के बिना वादी के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड से हटवा दिया एंव उक्त भूमि को श्रीसरकार दर्ज करवा दिया है और प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 4 उक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर वादी एवं उसके परिवारजनों को बेदखल करने आमादा हो उक्त भूमि पर अपना अधिकार करने आमादा है। वक्त सेटलमेंट राजस्व कर्मचारियों एवं सेटलमेंट अधिकारियों ने त्रुटी करते हुए वादी के पिता का नाम रेकार्ड से हटा दिया है और श्रीसरकार दर्ज कर लिया। वादी के पिता होमला पिता दला की मृत्यु हो चुकी है। वादी के पिता का उत्तराधिकारी वारीस वादी स्वयं है जिस कारण से उक्त भूमि पर वादी का हक एवं अधिकार है। वादी के पिता की उक्त भूमि के पास ही वादी के काका भेमा पिता दला की कृषि भूमि [illegible] सर्वे नम्बर 1626/1521 रकबा 0.76 हेक्टर है। मौके पर वादी अपनी जमीन पर काबिज होकर [illegible] चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का वादि की भूमि पर कोई हक [illegible] राजस्व त्रुटी का लाभ उठाने वादी की भूमि को अवैध तरीके से हड़पने [illegible] माह पुर्व प्रतिवादीगण ने वादी को उक्त आराजीयात की भूमि को खाली करने [illegible] दी जिस पर वादी ने राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की जिससे राजस्व कर्मचारियों की [illegible] त्रुटी का पता चला। उक्त राजस्व [illegible] की वजह से मौके पर वाद बाहुल्यताएं बढ रही है व विवाद बढ रहे है जिस वजह [illegible] राजस्व त्रुटी को दुरुरस्त किया जाना आवश्यक है जिस हेतु 136 LRact के तहत वाद पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:10:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

पेश है। उक्त राजस्व त्रुटी की वजह से प्रतिवादीगण नाजायज फायदा उठाने की फिराक में होकर उक्त वादी के कब्जे काश्त की भूमि को भू माफियाओं से मिलकर खाली कराने की धमकी दे रहे है तथा वादी की जानकारी बिना बाला–बाला अन्यत्र विक्रय करने की फिराक में है। यदि प्रतिवादीगण अपने इरादो में कामयाब हो गये तो वादी के समक्ष भारी समस्याएं उत्पन्न हो जायेगी। वादीगण अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो जायेंगे एवं मौके पर काफी विवाद एवं बाद बाहुल्यताएं बढ जाएगी। जिस वजह से प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाया जाना आवश्यक है कि उक्त भूमि पर कब्जे का, अतिक्रमण का प्रयास न करे, किसी अन्य को विक्रय करने का प्रयास न करे। इस हेतु दावा हस्ब धारा 188 रा.का.अ. के तहत पेश है। उक्त राजस्व त्रुटी को दुरूस्त करते हुए वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे एवं वादी को खातेदार स्वामी घोषित किया जाना आवश्यक होने से वाद अन्तर्गत 88 रा.का.अ. के तहत पेश हुआ।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने गये। प्रतिवादीगण की ओर से श्री पवन लुहान अभिभाषक का वकालातनामा पेश होकर जवाब प्रस्तुत होकर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गईः–

(1) आया विवादित आराजियात ख0नं0 1523 रकबा 0.80 हे0, 1682/1521 रकबा 0.20 हे0, 1156 रकबा 0.06 हे0, 1626/1520 रकबा 0.76 हे0, 1503 रकबा 0.90 हे0 वादीगण के पूर्वजो के स्वामित्व व आधिपत्य की खातेदारी भूमि है जो सेटलमेंन्ट की गलती से सरकारी दर्ज हुई है।

–: वादी

(2) आया ख0नं0 1626/1521 रकबा 0.76 हे0 वादी के काका भेमा पिता रत्ना के नाम की होने से वादीगण के हक अधिकार की भूमि है।

–: वादी

(3) आया वादी का विवादित भूमि पर अधिकार होने से घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का वादी अधिकारी है।

–: वादी

(4) आया वाद कारण उत्पन्न नही होने से वाद चलने योग्य नही है।

–: प्रतिवादी

(5) आया मूल स्वामित्वधारी को पक्षकार न बनाने से वाद चलने योग्य नही है।

–: प्रतिवादी

(6) आया विवादित ख0नं0 1523 रकबा 0.20 हे0 श्री सरकार भूमि होने से वादी का कोई अधिकार नही बनता है।

–: प्रतिवादी

(7) आया ख0नं0 1523 के अलावा अन्य विवादित भूमि भीमा पिता दला के नाम खातेदारी में होने से प्रतिवादीगण की खरीद शुदा है। वादी का विवादित भूमि पर कोई हक अधिकार नही बनता है।

–: प्रतिवादी

वादी की साक्ष्य के रूप में कान्ना पिता होमला, हलिया पिता कचरू के शपथ–पत्र पेश होकर प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा जिरह की गई। प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो न्यायोचित नही होने से न्यायालय द्वारा खारीज किया गया। प्रकरण बकुलाय की बहस सुनी [illegible] बहस पर मनन किया जाकर में कायम की गई तनकियात निम्नानुसार निर्णित की जाती है। [illegible] वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी खाता संख्या 125 प्रदर्श–1 एंव जमाबन्दी खाता संख्या 77 [illegible]र्श–2 एंव मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3 में वर्णित साबिक सर्वे नम्बर 695 का हाल सर्वे नम्बर 1523 तथा साबिक सर्वे नम्बर 695 मीन का हाल सर्वे नम्बर 1655/1521 अनुसार उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 01 को सिद्ध करने का भार वादी पर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:10:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

तनकी संख्या 02 को सिद्ध करने का भार वादी का है, वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया कि उक्त सर्वे नम्बर 1626/1521 रकबा 0.76 है0 का हाल सर्वे नम्बर क्या है एंव किसके नाम दर्ज है। अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03 को सिद्ध करने का भार वादी का है, वादी द्वारा वाद के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया जिससे यह साबित हो सके कि वादग्रस्त भूमि में वादी का अधिकार बनता हो। अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 04 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का है, प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन में वादकारण उत्पन्न नही होने बाबत् कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 05 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का है, प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब कि बिन्दू संख्या 02 में वर्णित कथन अनुसार वादी के पिता द्वारा भूमि भेमा पिता दला को विक्रय करदी जाना अवगत कराया है, परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 06 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का है, प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो कि उक्त भूमि श्रीसरकार है।। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 07 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का है, प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब में कथन किया गया हैं कि उक्त भूमि भेमा पिता दला के द्वारा क्रय की गई है। जिसे प्रतिवादीगण द्वारा अपने नाम क्रय की गई है। जिसका प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। अतः तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में कायम की गई सभी तनकिया दस्तावेजात् के आधार पर वादी सिद्ध करने में असफल रहा है।

अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पोषणिय नही होने से अस्वीकार किया जाकर वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पोषणिय नही होने से अस्वीकार किया जाकर वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाकर ईस आश[illegible] पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.3.2021 को [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:10:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अतुल प्रकाश (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 59/2015

उनवान

काना पिता होमला जाति भील निवासी वजाखरा तहसील गढी जिला बांसवाड़ा।

—: वादी

बनाम

(1) कोदर पिता लालजी पाटीदार निवासी वजाखरा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(2) राहुल पिता लवजी पाटीदार निवासी वजाखरा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(3) रामेंग पिता ताजेंग पाटीदार निवासी वजाखरा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(4) लवजी पिता अमरजी पाटीदार निवासी वजाखरा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(5) तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राज0 काश्तकारी अधिनियम एंव 136 भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 10.3.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पोषणिय नही होने से अस्वीकार किया जाकर वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाकर इस आशय कीं डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुदं व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 10.3.2021 को जारी की गई।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:10:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Scanned by CamScanner